न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉंगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 117 /2022 दावा/बतनाज/रूपनाथ वगैरा वगैरा/घनश्याम वगैरा

रूपनाथ उर्फ रूपनारायण आयु 55 साल पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) कौम नायक निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1. घनश्याम पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
2. पुष्पदयाल पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
3. बालकिशन पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
4. धन्नी पुत्री श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
5. हेमलता पुत्री श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक नि.हरिपुरा तह.सांगोद,
6. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉंक :— 12.11.2022

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 276 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 277 रकबा 1.67 हैक्टर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 279 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 462 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 466 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 6 की कुल 2.32 हैक्टर आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी का वास्तविक नाम ''रूपनाथ'' है किन्तु वादी का घर का नाम ''रूपनारायण'' भी है। इस प्रकार वादी को रूपनाथ व रूपनारायण दोनों ही नामों से जाना जाता है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् वादी के हैं। वादी के आधारकार्ड, राशनकार्ड इत्यादि राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम ''रूपनाथ'' ही अंकित है। साथ ही उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5 की वल्दियत में वादी की माता 'पारवती' का नाम अंकित है जबकि [illegible]कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

दस्तावेजों में वादी की वल्दियत में पिता छीतरलाल का नाम अंकित है। राजस्व रिकार्ड में अंकित रूपनारायण वादी के नाम व वादी की वल्दियत में माता पारवती का नाम अंकित होने एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादी के नाम व वल्दियत में भिन्नता होने के कारण प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडा रहा है। उक्त संबंध में वादी ने गत सप्ताह पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करवाने की कहा तो पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की राय व्यक्त की जिसके कारण माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने का आग्रह करने पर पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरुस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम "रूपनारायण" के स्थान पर "रूपनाथ" अंकित किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 की वल्दियत में अंकित माता 'पारवती' के स्थान पर पिता 'छीतरलाल' का नाम अंकित किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "रूपनाथ उर्फ रूपनारायण" एवं वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 की वल्दियत में पिता 'छीतरलाल' व माता 'पारवती' दोनों का नाम अंकित कर दिया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 द्वारा जवाबदावा इकबालिया प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार कर डिकी किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारों द्वारा दावा वादी डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिचनों के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादी [illegible] तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 276 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 277 रकबा [illegible].67 हैक्टर, खसरा नंबर 278 रकबा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 279 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 462 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 466 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 6 की कुल 2.32 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रूपनाथ उर्फ रूपनारायण अंकित किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 की वल्दियत में अंकित माता 'पारवती' के स्थान पर पिता 'छीतरलाल' का नाम अंकित किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 12.11.2.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड(राजेश डागा)
सॉगोदउपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:54 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2022 दावा/बउनवान/रूपनाथ वगैरा वगैरा/घनश्याम वगैरा

रूपनाथ उर्फ रूपनारायण आयु 55 साल पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) कौम नायक निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी–

—बनाम—

1. घनश्याम पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
2. पुष्पदयाल पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
3. बालकिशन पुत्र श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
4. धन्नी पुत्री श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक,
5. हेमलता पुत्री श्री छीतरलाल(पिता) व पारवती(माता) जाति नायक नि.हरिपुरा तह.सांगोद,
6. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मि.नं. /2022

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट,

तारीख फैसला दिनांक 12.11.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....वहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोंकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 276 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 277 रकवा 1.67 हैक्टर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 279 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 462 रकवा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 466 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 6 की कुल 2.32 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रूपनाथ उर्फ रूपनारायण अंकित किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 की वल्दियत में अंकित माता 'पारवती' के स्थान पर पिता 'छीतरलाल' का नाम अंकित किया जावे।

Signature Not Verified

निज ———— मुवलिग ————— बाबत ————————ा इस ... दमें के मय सूद वशरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा क... मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

-2-

[illegible].2022 को जारी की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

खर्चा	रुपया	पैसे	मुन्तखबाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प सबूत गवाह			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा तलबाना		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:54 IST
Reason: SelfAttested